न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–351 / 2026
बेलछी थाना कांड संख्या–67 / 2025
अंतर्गत धारा–96, 3(5) बीएनएस

13.07.2026 काराधीन अभियुक्त–1. शिवराम कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–483 के अंतर्गत दिनांक–15.06.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है, जोकि धारा–96, 3(5) बीएनएस से संबंधित बेलछी थाना कांड संख्या–67 / 2025, दिनांक–05.04. 2025 के नामित अभियुक्त हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश प्रसाद सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक के विरूद्ध इस कांड के अलावा एक अन्य अपराधिक मामला दर्ज है, जोकि बेलछी थाना कांड संख्या I–08 / 2023 है, जिसमें धारा–366(A) भा0द0वि0 के अंतर्गत मामला लंबित है और यह, इस केस सूचिका–राधा देवी ही हैं, यह वाद का विचारण विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–छः के न्यायालय में लंबित है, जिसमें मुस्कान कुमारी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि, आवेदक ने उसका अपहरण किया है। आवेदक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक–05.06.2026 को जेल भेजा गया है, तब से ही वे काराधीन हैं। आवेदक का पूर्व में जमानत आवेदन विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दिनांक–08.06.2026 को खारिज किया जा चुका है। आगे विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि, आवेदक निर्दोष हैं, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है। आवेदक एक रेलवे कर्मचारी है और वह किडनी से संबंधित बीमारी से ग्रसित है। मुस्कान कुमारी का कोई अपहरण नहीं हुआ है, वह B.A. की परीक्षा में नियमित शामिल हो रही है और न्यायालय में भी आकर उसने अपना ब्यान दर्ज कराया है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए कहा गया है कि, अपहृता–मुस्कान कुमारी अव्यस्क है और पूर्व में भी इसी आवेदक के द्वारा इसे अगवा कर ले जाया गया था, जिसमें काफी दबाव के पश्चात् मुस्कान कुमारी को घर छोड़ा गया था और पुनः, उसने दोबारा इस तरह का कार्य किया है। अभियोजन का आगे कहना है कि वह, लड़की को अपने कब्जे में रखे हुए हैं और उसे अपनी मर्जी के अनुसार न्यायालय में लाकर गवाही दिलवाया गया है। अतः, वे जमानत के हकदार नहीं हैं।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड की सूचिका–राधा देवी हैं, जिनका कहना है कि, दिनांक–29.03.2025 दिन शनिवार समय लगभग 10.00 बजे दिन में उनकी पुत्री–मुस्कान कुमारी, जिसकी उम्र–17 वर्ष, आई0 कार्ड के अनुसार, उसका जन्म तिथि–01.01.2008 को शिवराम कुमार एवं अन्य तीन–चार अज्ञाज व्यक्ति के साथ भगाकर ले जाया गया है। इसके पूर्व भी अभियुक्त–शिवराम कुमार के द्वारा

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–351 / 2026
बेलछी थाना कांड संख्या–67 / 2025
अंतर्गत धारा–96, 3(5) बीएनएस

लगातार

13.07.2026

मुस्कान कुमारी को सन्–2023 में बहला–फुसलाकर ले जाया गया था, जिसको लेकर बेलछी थाना कांड संख्या–08 / 2023 दर्ज किया गया था और उसका विचारण विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–छः, के न्यायालय में चल रहा है, जिसका विचारण संख्या–865 / 2025 है।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, सूचिका ने अपने पुनः, ब्यान में घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि, उसकी नाबालिक पुत्री–मुस्कान कुमारी को शिवराम कुमार के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर भगाकर ले जाया गया है। इसी प्रकार, कंडिका–3 में साक्षी–सौरभ कुमार एवं कंडिका–4 में साक्षी–राहुल कुमार ने भी घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–66 में अन्य परिजनों के द्वारा यह बताया गया है कि आवेदक, मुस्कान कुमारी को भगाकर ले गए हैं और उसे दानापुर में ले जाकर रखा गया है और उससे शादी भी कर लिया गया है, शादी की छायाप्रति भी न्यायालय में दिया गया है, आवेदक पूर्व से एक शादी–शुदा व्यक्ति है। मुस्कान कुमारी के जन्म तिथि से संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का प्रमाण–पत्र दिया गया है, जिसमें उनका जन्म–01.01.2008 दर्शाया गया है। अपहृता का उम्र–17 वर्ष है। अपहृता अभी–तक बरामद नहीं हो पाई है। अपहृता नाबालिक हैं। पूर्व में भी आवेदक द्वारा इस प्रकार की घ ाटना सन्–2023 में किया जा चुका है, इनके विरूद्ध एक नाबालिक लड़की को अगवा कर ले जाकर विवाह करने का आरोप है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त–1. शिवराम कुमार को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़